

# ब्यूज टुडे

## कोयला मंत्रालय ने वित्तीय प्रोत्साहन योजना (FIS) की श्रेणी-II के अंतर्गत चयनित आवेदकों की घोषणा की

इस योजना का उद्देश्य कोयला गैसीकरण में तेजी लाना और राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन को आगे बढ़ाना है।

वित्तीय प्रोत्साहन योजना (FIS) के बारे में


- शुरुआत: इसे 2024 में शुरू किया गया था।
- परिचय: 8,500 करोड़ रुपये।
- कार्यान्वयन: कोयला मंत्रालय।
- उद्देश्य: कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
- श्रेणियाँ: इस योजना के तहत तीन श्रेणियाँ हैं। श्रेणी I और III के तहत चयनित आवेदकों की घोषणा पहले की जा चुकी है।

कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) के बारे में

- अर्थ: यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, जो कोयले जैसे किसी भी कार्बनयुक्त कच्चे माल को ईंधन गैस या सिंथेटिक गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करती है।
- ⊕ सिनगैस, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के उत्पादन में एक मध्यवर्ती उत्पाद है। यह मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोजन (H<sub>2</sub>) से बनी होती है।
- प्रक्रिया: यह प्रक्रिया गैसीफायर (उच्च तापमान/ दबाव युक्त पात्र) में संपन्न होती है। यहां ऑक्सीजन और भाप कोयले के सीधे संपर्क में आकर सिनगैस उत्पन्न करती हैं।

कोयला गैसीकरण का महत्त्व

- ऊर्जा का स्वच्छ रूप: कोयले को गैसीय ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। इस ईंधन का प्रबंधन आसान है और यह ऊर्जा का अधिक स्वच्छ रूप है।
- रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग में उपयोग: इसका उपयोग मेथनॉल, इथेनॉल, ओलेफिन आदि के निर्माण में किया जाता है।
- सिंथेटिक गैस का उपयोग: इसके कई उपयोग हैं, जैसे- अमोनिया और हाइड्रोजन का उत्पादन, प्राकृतिक गैस का विकल्प, इस्पात उद्योग में रिडक्शन गैस (Reduction gas) के रूप में, विद्युत उत्पादन में, आदि।
- भारत के लिए महत्त्व: भारत में मौजूद प्रचुर कोयला भंडार का उपयोग करना, तेल और गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना, आदि।
- ⊕ राष्ट्रीय कोयला सूची, 2023 के अनुसार देश में 378.21 बिलियन टन कोयला भंडार है।



राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के बारे में

- लक्ष्य: 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- कार्यान्वयन: इस मिशन का कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन चरणों में किया जाएगा-
- ⊖ चरण I- पायलट परियोजनाओं की स्थापना,
- ⊖ चरण II- कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से गैसीकरण प्रयासों को बढ़ाना, तथा
- ⊖ चरण III- चरण II में प्रौद्योगिकी उन्नयन के बाद 90MT कोयले का गैसीकरण करना।

## भोपाल प्रशासन ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने और दान देने पर रोक लगा दी

भोपाल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की भीख मांगने संबंधी गतिविधियों, भिखारियों को दान देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


- BNSS की धारा 163 जिला मजिस्ट्रेट को मानव जीवन के लिए खतरा या लोक शांति में व्यवधान को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी नियत कार्य को न करने का निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 4.13 लाख भिखारी और आचारा लोग हैं।

भिक्षावृत्ति (भीख मांगने) से संबंधित प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी, बेगारी एवं अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से भिक्षावृत्ति को भी प्रतिबंधित करता है।
- भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना: यह SMILE (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहे व्यक्तियों हेतु सहायता) योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है। SMILE सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
- राज्यों का विधान और परियोजनाएं: बॉम्बे प्रीवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट (BPBA), 1959; राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 आदि।
- न्यायिक निर्णय: हर्ष मंदर केस (2018) में दिल्ली हाई कोर्ट ने BPBA, 1959 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक माना था, जो भीख मांगने को अपराध मानते थे।

आगे की राह (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एडवाइजरी)

- भिखारियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए।
- जबरन भीख मंगवाने पर रोक लगाने के लिए मानव तस्करी विरोधी कानून को लागू करना चाहिए।
- भिखारियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर उनका राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना चाहिए।
- अन्य: आश्रय गृहों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, भिक्षावृत्ति में संलग्न संगठित सिंडिकेट को खत्म करना चाहिए, लक्षित कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए आदि।



## NTPC ने कर्नाटक के कुडगी में अत्याधुनिक CO<sub>2</sub> (कार्बन डाइऑक्साइड) ऊर्जा भंडारण बैटरी का उत्पादन शुरू किया

यह अत्याधुनिक परियोजना त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम (इटली) के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 160MWh (मेगावाट घंटे) की CO<sub>2</sub> बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है। यह उपलब्धि दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण (Long Duration Energy Storage: LDES) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।

दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण में 8 घंटे से लेकर कई दिनों, हफ्तों या मौसमों तक की लम्बी अवधि के लिए ऊर्जा संग्रहित रहती है।

CO<sub>2</sub> बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में

- CO<sub>2</sub> बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली: जब ऊर्जा/ विद्युत प्रचुर मात्रा में होती है (चार्जिंग फेज) तो यह प्रणाली CO<sub>2</sub> को संपीड़ित करने एवं द्रव रूप में बदलने का कार्य करती है। साथ ही, जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है (डिस्चार्जिंग फेज) तो टरबाइन को चलाने के लिए इसे वापस गैस रूप में परिवर्तित करती है।
- कार्य-प्रणाली: यह प्रणाली 'क्लोस्ड ब्रेटन थर्मोडायनेमिक साइकिल' पर कार्य करती है। इसमें वाष्प से तरल अवस्था में CO<sub>2</sub> के भौतिक मापदंडों में हेरफेर करके बिजली की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है।
- अन्य बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ तुलना: इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पर आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विपरीत, यह विशेष इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टर्बोमशीनरी पर कार्य करती है।
  - इसलिए, इसकी कार्यक्षमता में समय के साथ बहुत कम गिरावट आती है।

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के बारे में

- ऊर्जा भंडारण प्रणालियां: इनका उपयोग ऊर्जा की कम मांग के समय अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहीत करने तथा जब उर्जा की मांग बहुत अधिक होती है, तब संग्रहीत उर्जा को वितरित करने के लिए किया जाता है।
- महत्त्व: हरित एवं संधारणीय ऊर्जा परिवेश का विकास करना, इलेक्ट्रिक ग्रिड की स्थिरता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखना आदि।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के मुख्य प्रकार:
  - रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रणालियां: ये रासायनिक ऊर्जा को संग्रहीत करती हैं और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। उदाहरण के लिए- लिथियम-आयन बैटरी, सोडियम-आयन बैटरी, आदि।
  - उन्नत रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली: रासायनिक ऊर्जा आधारित बैटरियों की नई पीढ़ी जो पारंपरिक बैटरियों की तुलना में अधिक दक्ष, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। उदाहरण के लिए- CO<sub>2</sub> बैटरियां, आदि।
  - तापीय ऊर्जा भंडारण: यह ऊर्जा उपयोग के बाद में पुनः उपयोग के लिए तापीय ऊर्जा का भंडारण है। इस प्रणाली में भंडारण माध्यम को गर्म या ठंडा करके तापीय ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। उदाहरण के लिए- विद्युत तापीय ऊर्जा भंडारण, आदि।



## भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक ने 'शैक्षणिक जगत-उद्योग सहयोग' पर बल दिया

महानिदेशक ने इस बात पर बल दिया कि नवाचार और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले मानकों को आकार देने में 'शैक्षणिक जगत-उद्योग सहयोग' की आवश्यकता है।


'शैक्षणिक जगत-उद्योग सहयोग' तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार के ट्रिपल हेलिक्स मॉडल का महत्वपूर्ण घटक है।

'शैक्षणिक जगत-उद्योग सहयोग' का महत्त्व

- आर्थिक संवृद्धि: IIT मद्रास रिसर्च पार्क ने 200 से अधिक स्टार्ट-अप शुरू किए हैं। इन स्टार्ट-अप ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। इससे आर्थिक विकास को गति मिली है।
- सामाजिक लाभ: पूसा बासमती चावल की किस्में संधारणीय बासमती चावल की खेती और निर्यात में अत्यधिक योगदान दे रहे हैं।
- उच्च रिटर्न: जर्मनी के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार, लक्षित अनुसंधान सहयोग ने बेहतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, संवर्धित कार्यबल क्षमताओं तथा उच्च फर्म एवं सरकारी राजस्व के माध्यम से निवेश पर 18 गुना रिटर्न प्राप्त किया है।

'शैक्षणिक जगत-उद्योग सहयोग' में चुनौतियां

- वित्त-पोषण की कमी: वित्त वर्ष 2020-21 में, भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% शोध व विकास (R&D) में निवेश किया था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3.46% और चीन ने 2.43% का निवेश किया था।
- शैक्षणिक अनुसंधान में उच्च व्यावसायीकरण लागत आती है और ठोस परिणामों की प्राप्ति का भी अभाव रहता है।
- सीमित वित्तीय प्रोत्साहन, प्रशासनिक कार्यों में संलग्नता, खराब अवसरचनना आदि के कारण अकादमिक छात्रों में अनुसंधान के लिए प्रेरणा की कमी है।
- साझा बौद्धिक संपदा के मुद्दीकरण और अलग-अलग परियोजना प्रबंधन दृष्टिकोण जैसी समस्याएं विद्यमान हैं।



## संसदीय समिति ने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक के ड्राफ्ट में अति-केंद्रीकरण पर चिंता जताई

शिक्षा से संबंधित विभागीय स्थायी संसदीय समिति ने प्रस्तावित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक में उच्चतर शिक्षा के अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर चिंता प्रकट की है।

➤ इस विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह आयोग भारत में उच्चतर शिक्षा पर एकल विनियामक निकाय होगा।

प्रस्तावित 'भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग' के बारे में

➤ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश में उच्चतर शिक्षा के विनियमन के लिए शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश की गई है। इस आयोग के 4 स्वतंत्र अंग होंगे:

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद: यह उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कॉमन एकल बिंदु विनियामक संस्था के रूप में कार्य करेगी। इसके दायरे में शिक्षक प्रशिक्षण होगा, लेकिन चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council): यह संस्था उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन से जुड़े पर्यवेक्षण एवं निगरानी संबंधी कार्य करेगी।
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद: यह पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा का वित्त-पोषण करेगी और अनुदान प्रदान करेगी।
- सामान्य शिक्षा परिषद: यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित लर्निंग आउटकम तैयार करेगी। इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार करना भी शामिल है।

विधेयक से संबंधित चिंताएं

- अति-केंद्रीकरण: इस आयोग की संरचना में केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण होगा। इसमें राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक संस्थानों पर प्रभाव: यह विधेयक उच्चतर शिक्षा पर राज्य सरकारों के नियंत्रण को कम करता है। इससे उन ग्रामीण संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो शैक्षिक अवसरचना या शिक्षकों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

### भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की आवश्यकता क्यों है?

- उच्चतर शिक्षा के विनियमन में एकरूपता लाने हेतु: वर्तमान में, भारत में उच्चतर शिक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसी कई संस्थाओं द्वारा विनियमित किया जाता है। इससे एकरूपता नहीं बन पाती है।
- विनियमन की यांत्रिक और शक्तिविहीन प्रकृति के समाधान हेतु: कुछ संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इससे कई संस्थाओं के बीच हितों का टकराव होता है। इसके परिणामस्वरूप, किसी संस्था की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है।

## केंद्र सरकार ने सरकारी डिवाइसेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के उपयोग के प्रति कर्मचारियों को आगाह किया

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक डिवाइसेज पर डीपसीक, चैटजीपीटी जैसे AI टूल्स का उपयोग नहीं करने के लिए चेतावनी जारी की है।

गवर्नेंस में AI टूल्स के कुछ उपयोग इस प्रकार हैं:

- नीति-निर्माण हेतु डेटा-आधारित निर्णय लेने में।
  - AI-संचालित बॉट्स के माध्यम से जनता तक सेवा पहुंचाने में। जैसे- टैक्स फाइलिंग में, शिकायत निवारण में, आदि।
- गवर्नेंस में AI टूल्स के उपयोग से संबंधित चिंताएं
- डेटा सुरक्षा और निजता के उल्लंघन का खतरा: AI मॉडल्स यूजर्स के इनपुट को विदेशों में स्थापित सर्वरों पर प्रोसेस करते हैं। इससे गोपनीय सरकारी डेटा इन टूल्स में संग्रहीत हो जाते हैं। इन डेटा को अनधिकृत तरीके से प्राप्त या दुरुपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- 2017 में वानाक्राई रैनसमवेयर अटैक के कारण यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के कार्य-संचालन में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न हुई थी।
  - पक्षपात और हेरफेर के खतरे: AI मॉडल्स को पूर्वाग्रह वाले डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है। इससे पक्षपातपूर्ण नीति-निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है या फिर किसी देश या समुदाय के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है।
  - प्रतिस्पर्धी संस्थान या शत्रु देश डेटा पॉइज़निंग अटैक के जरिए AI-आधारित नीतिगत सिफारिशों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल, डेटा पॉइज़निंग एक प्रकार का साइबर अटैक है, जिसमें अटैकर AI के विकास में उपयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण डेटा में हेरफेर कर देते हैं।
  - उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वानुमान-आधारित पुलिसिंग प्लोरिडम पर अश्वेत लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव करने का आरोप लगा है।
  - जवाबदेही की कमी: AI पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने से निर्णय-लेने में लोगों की जवाबदेही कम हो सकती है। इससे गलतियों के लिए जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाएगा।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा: विदेशी शत्रु शक्तियां AI की कमियों का फायदा उठाकर नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं या जासूसी कर सकती हैं।
  - यह विशेष रूप से भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अधिकतर AI टूल्स विदेशी कंपनियों द्वारा विकसित किए गए हैं।

### आगे की राह

- सॉवरेन AI: इससे आशय एक राष्ट्र की अपनी आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उपयोग से AI मॉडल्स विकसित करने की क्षमता से है।
- भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कॅम्पूटिंग मिशन योजना की घोषणा की है।
- AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करना: इसे नीति आयोग के "सभी के लिए जिम्मेदार AI" फ्रेमवर्क और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप मजबूत करने की जरूरत है।
- मानव द्वारा निगरानी और जवाबदेही: AI में "ह्यूमन-इन-द-लूप" (HITL) मॉडल को लागू करना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण निर्णयों में मानव द्वारा निगरानी सुनिश्चित होगी।

## अन्य सुर्खियां



### बुसेलोसिस

हाल ही में, केरल के मलपुरम जिले के कोट्टुक्कल में आठ वर्षीय बच्ची की बुसेलोसिस से मृत्यु हो गई।

बुसेलोसिस के बारे में

- बीमारी का प्रकार: बुसेलोसिस बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। यह बीमारी बुसेला की अलग-अलग प्रजातियों से फैलती है। इस बीमारी के संक्रमण के अधिकतर मामले मवेशी, सूअर, बकरी, भेड़ और कुत्तों में देखने को मिलते हैं।
- दुनिया भर में इंसानों में बुसेलोसिस का सबसे आम कारण बुसेला मेलिटेंसिस है।
- मानव में संक्रमण के माध्यम:
  - संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से,
  - संक्रमित पशु उत्पादों के सेवन से,
  - हवा में मौजूद बैक्टीरिया के किसी कणीय माध्यम से श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से आदि।
- संक्रमित व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति में संक्रमण के मामले दुर्लभ हैं।
- बीमारी का खतरा बढ़ने की वजहें:
  - पशु उद्योगों और शहरीकरण का विस्तार,
  - पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, आदि।



### साहित्य अकादमी पुरस्कार

हाल ही में, चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक "इक होर अश्वथामा" के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में

- उत्पत्ति: साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था।
- यह पुरस्कार अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक हृष्टि से सबसे उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है।
- अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में संविधान की अनुसूची VIII के तहत सूचीबद्ध 22 भाषाएं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी शामिल हैं।
- पुरस्कार एक मंजूषा के रूप में होता है। इसमें एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका होती है और 1,00,000/- रुपये नकद दिए जाते हैं।



## इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है। प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर वियतनाम है।

वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही निर्मित होते हैं।

भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति

- कुल मूल्य (वैल्यूएशन): भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तीव्र संवृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह क्षेत्र कुल 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया था।
- उत्पादन: इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2017 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वित्त वर्ष 2023 में दोगुने से अधिक बढ़कर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया।
- निर्यात: इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन चुका है। हालांकि, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी 1% से कम है।



## मखाना

केंद्रीय बजट 2025-26 में विशेष मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा गई है।

इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य मखाना उत्पादन बढ़ाना, प्रसंस्करण में सुधार करना और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है।

मखाना (*Euryale ferox*) के बारे में

- यह पुष्पी पादप है। इसे वाटर लिली फैमिली (*Nymphaeaceae*) में वर्गीकृत किया गया है। यह जीनस यूरीएल (*Euryale*) की एकमात्र उपलब्ध प्रजाति है।
- अनुकूल जलवायु दशाएं: मखाने की खेती के लिए 20-35°C तापमान, 50-90% सापेक्षिक आर्द्रता और 100-250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
- यह पूर्णतः जैविक खाद्य पदार्थ है, लेकिन अनाज की श्रेणी में नहीं आता है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत में होती है। हालांकि, आंशिक तौर पर कोरिया, जापान और पूर्वी रूस के कुछ हिस्सों में भी मखाने की खेती की जाती है।
- भारत में लगभग 90% मखाना उत्पादन बिहार में होता है।
- GI टैग: 2022 में 'मिथिला मखाना' को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया था।



## ग्रेट/ GREAT स्कीम

केंद्र सरकार ने 'तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में महत्वाकांक्षी नवोन्मेषकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता हेतु अनुदान (ग्रेट/ GREAT)' योजना के तहत तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में 04 स्टार्ट-अप को मंजूरी दी।

ग्रेट स्कीम के बारे में

- परिचय: यह राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत अनुसंधान, विकास और नवाचार चटक का हिस्सा है।
- उद्देश्य: नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास में तेजी लाना; तकनीकी वस्त्र उद्योग के विकास व संधारणीयता में महत्वपूर्ण योगदान देना आदि।
- यह योजना तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अभूतपूर्व परियोजनाओं पर काम करने वाले शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप और उद्यमियों को वित्तीय सहायता व संसाधन प्रदान करती है।
- केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान करता है।



## इबोला

युगान्डा ने सूडान स्ट्रेन के इबोला वायरस से प्रतिरक्षा करने वाले टीके के असरदार होने पर पहली बार क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। यह परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर किया जा रहा है।

इबोला वायरस जीनस की 6 प्रजातियां हैं: जायरे, बुडिबुग्यो, सूडान, टाई फॉरेस्ट, रेस्टन और बोम्बाली।

इबोला वायरस के बारे में

- मनुष्यों में इबोला वायरस रोग (EVD) के दुर्लभ मामले मिलते हैं। हालांकि, यह बीमारी गंभीर हो सकती है।
- रोग का संक्रमण: इसका मानव में फ्रूट बैट, पॉक्यूपाइन, नॉन-ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे जंगली जानवरों से संक्रमण फैलता है। इसके बाद यह बीमारी मानव आबादी में फैलती है।
- मानव से मानव में संक्रमण का माध्यम: संक्रमित व्यक्ति के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से।



## ढिम्सा नृत्य

आंध्र प्रदेश में जनजातियों ने ढिम्सा नृत्य का प्रदर्शन किया।

ढिम्सा नृत्य के बारे में

- माना जाता है कि इस नृत्य शैली की उत्पत्ति ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में हुई थी।
- यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम क्षेत्र में अराकू घाटी की पहाड़ी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला अनोखा नृत्य है।
- इसके तहत लगभग 15 से 20 महिलाएं प्रतीकात्मक जनजातीय परिधान व वस्त्र धारण कर नृत्य करती हैं।
- मुख्य भूमिका वाली महिलाएं अपने हाथ में मोर पंख रखती हैं।
- प्रयुक्त वाद्य यंत्र: मोरी, थुडुम और डप्पू।



## रुमेटीयड गठिया (Rheumatoid Arthritis)

शोधकर्ताओं ने रुमेटीयड गठिया (Rheumatoid Arthritis) के उपचार हेतु शरीर में सटीक तरीके से दवा पहुंचाने हेतु एक नवोन्मेषी स्व-सक्रिय प्रणाली विकसित की है।

- यह नई तकनीक शरीर में जॉइंट्स की सूजन को प्रत्यक्ष रूप से लक्षित करके रुमेटीयड गठिया का उपचार करती है।
- यह तकनीक विशेष रूप से डिजाइन किए गए माइक्रोस्फीयर का उपयोग करती है। इसमें रुमेटीयड गठिया का इलाज करने वाली आम दवा 'मेथोटेक्सेट' रखी गई होती है।
- इन माइक्रोस्फीयर को जोड़ों में सूजन की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर ही दवा निकालने के लिए डिजाइन किया गया है।

रुमेटीयड गठिया के बारे में

- यह क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है। इससे शरीर के जॉइंट्स प्रभावित होते हैं।
- यह बीमारी कलाई, हाथ, कोहनी, कंधे, पैर, रीढ़, घुटने और जबड़े के जॉइंट्स को प्रभावित कर सकती है।

## सुर्खियों में रहे स्थल



## बेल्जियम (राजधानी: ब्रुसेल्स)

बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।

बेल्जियम के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति
  - यह उत्तर-पश्चिमी यूरोप में अवस्थित है।
  - सीमावर्ती देश: इसके उत्तर में नीदरलैंड, पूर्व में जर्मनी, दक्षिण-पूर्व में लक्ज़मबर्ग, और दक्षिण में फ्रांस स्थित है।
  - सीमावर्ती जल निकाय: उत्तरी सागर।
- भौगोलिक विशेषताएं:
  - सबसे ऊंची चोटी: सिग्नल डी बोर्ट्रेज।
  - मुख्य पठार: अर्देनेस, हार्ड फेस आदि।
  - प्रमुख नदियां: म्युज, शेल्ड, ओइस आदि।

